

न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 103/2017
UPRN180003392017



हरिप्रसाद

बनाम

कमलेश कुमार

दिनांक – 02/08/2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय अनुपस्थित। कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

सिविल जज(जू०डि०),

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562

लंच बाद

2.20 बजे

पत्रावली पुनः पेश हुई। पुकार कराई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत है। बार बार पुकार कराए जाने पर भी उभय पक्षों की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्ष विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्ष अपने वाद को संचालित करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार मूल वाद आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूल वाद सं० 103/2017 आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत उभय पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)

सिविल जज(जू०डि०),

घाटमपुर, कानपुर देहात

यू०पी० 3562